कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/आरटीई/बी/सॉफ्टवेयर/18894/13–14/वो–11/1 दिनांकः–25/06/14

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा
....

विषयः–आरटीई ऑनलाईन पोर्टल पर गैर सरकारी विद्यालयों का पंजीकरण करवाते हुए आवेदन पत्र अपलोड करवाने एवं बन्द गैर सरकारी विद्यालयों की सूची तैयार कर मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही बाबत्।

प्रसंगः–शासन सचिव, स्कूल शिक्षा महोदय एवं निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर महोद्य द्वारा विभागीय विडियों कान्फ्रेसिंग में दिये निर्देश।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के आदेश दिनांक प.12(6)शिक्षा–5/2014 दिनांक 10.4.14 के द्वारा राज्य के समस्त गैर सरकारी विद्यालयों का आरटीई वेब पोर्टल (www.rte.raj.nic.in) पर पंजीयन व आवश्यक प्रविष्टियां करना अनिवार्य(Mandatory) घोषित किया जा चुका है। इसके बावजूद आज दिनांक 25.6.14 तक सत्र 2014–15 के यू.आर.एल पर मात्र 23340 गैर सरकारी विद्यालयों ने ही पंजीकरण कराया है और उनमें से 17309 गैर सरकारी विद्यालयों ने तो निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश संबंधी आवेदन पत्रों की ऑनलाईन फिडिंग का कार्य प्रारम्भ ही नहीं किया है, जो इस कार्य में आपकी मॉनेटरिंग की शिथिलता को दर्शाता है। अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि–

1. आपके जिले में संचालित शतप्रतिशत गैर सरकारी विद्यालयों का सत्र 2014–15 के आरटीई वेब पोर्टल पर पंजीयन तीन दिवस में कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त अवधि में पंजीकरण नहीं करने वाले गैर सरकारी विद्यालयों के विरूद्ध राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) (संशोधन) नियम, 2011 के नियम 8(ख) में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन करते हुए मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ करवावें व की गई कार्यवाही की समेकित रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित करें।
2. सत्र 2014–15 के लिए निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशों के लिए गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा वितरित आवेदन पत्रों, प्राप्त आवेदन पत्रों एवं जांच उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों की आरटीई पोर्टल पर फिडिंग हेतु अपने जिले के सभी गैर सरकारी विद्यालयों को पाबन्द करते हुए उक्त कार्य तुरन्त प्रारम्भ करवाएं।
3. सत्र 2014–15 में आरटीई एक्ट के तहत निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधित टाईम फ्रेम संबंधी आदेश दिनांक 15.6.14 व 18.6.14 का समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाते हुए टाईम फ्रेम प्रकाशन संबंधी समाचार की छाया प्रति आगामी तीन दिवस में निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

4. जो गैर सरकारी शिक्षण संस्थाएं बन्द हो चुकी हैं उनकी अद्यतन सूची तैयार कर उनकी मान्यता निरस्त करने की स्पष्ट अनुसंशा के साथ पत्र प्राप्ती के सात दिवस में निदेशालय भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त कार्य में किसी भी तरह की शिथिलता के लिए आपका व्यक्तिगत उतरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।

25/6/15

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ।

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
4. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा के समस्त उप निदेशक एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को उक्तानुसार कार्यवाही करवाने हेतु पाबन्द करावें।
5. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा.. ।
6. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/आरटीई/बी/सॉफ्टवेयर/18894/13–14/वो–11/1 दिनांकः–25/06/14

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा
....

विषयः–आरटीई ऑनलाईन पोर्टल पर गैर सरकारी विद्यालयों का पंजीकरण करवाते हुए आवेदन पत्र अपलोड करवाने एवं बन्द गैर सरकारी विद्यालयों की सूची तैयार कर मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही बाबत्।

प्रसंगः–शासन सचिव, स्कूल शिक्षा महोदय एवं निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर महोद्य द्वारा विभागीय विडियों कान्फ्रेसिंग में दिये निर्देश।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के आदेश दिनांक प.12(6)शिक्षा–5/2014 दिनांक 10.4.14 के द्वारा राज्य के समस्त गैर सरकारी विद्यालयों का आरटीई वेब पोर्टल (www.rte.raj.nic.in) पर पंजीयन व आवश्यक प्रविष्टियां करना अनिवार्य(Mandatory) घोषित किया जा चुका है। इसके बावजूद आज दिनांक 25.6.14 तक सत्र 2014–15 के यू.आर.एल पर मात्र 23340 गैर सरकारी विद्यालयों ने ही पंजीकरण कराया है और उनमें से 17309 गैर सरकारी विद्यालयों ने तो निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश संबंधी आवेदन पत्रों की ऑनलाईन फिडिंग का कार्य प्रारम्भ ही नहीं किया है, जो इस कार्य में आपकी मॉनेटरिंग की शिथिलता को दर्शाता है। अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि–

1. आपके जिले में संचालित शतप्रतिशत गैर सरकारी विद्यालयों का सत्र 2014–15 के आरटीई वेब पोर्टल पर पंजीयन तीन दिवस में कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त अवधि में पंजीकरण नहीं करने वाले गैर सरकारी विद्यालयों के विरूद्ध राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) (संशोधन) नियम, 2011 के नियम 8(ख) में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन करते हुए मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ करवावें व की गई कार्यवाही की समेकित रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित करें।
2. सत्र 2014–15 के लिए निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशों के लिए गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा वितरित आवेदन पत्रों, प्राप्त आवेदन पत्रों एवं जांच उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों की आरटीई पोर्टल पर फिडिंग हेतु अपने जिले के सभी गैर सरकारी विद्यालयों को पाबन्द करते हुए उक्त कार्य तुरन्त प्रारम्भ करवाएं।
3. सत्र 2014–15 में आरटीई एक्ट के तहत निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधित टाईम फ्रेम संबंधी आदेश दिनांक 15.6.14 व 18.6.14 का समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाते हुए टाईम फ्रेम प्रकाशन संबंधी समाचार की छाया प्रति आगामी तीन दिवस में निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

4. जो गैर सरकारी शिक्षण संस्थाएं बन्द हो चुकी हैं उनकी अद्यतन सूची तैयार कर उनकी मान्यता निरस्त करने की स्पष्ट अनुसंशा के साथ पत्र प्राप्ती के सात दिवस में निदेशालय भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त कार्य में किसी भी तरह की शिथिलता के लिए आपका व्यक्तिगत उतरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।

-sd-
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ।

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
4. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा के समस्त उप निदेशक एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को उक्तानुसार कार्यवाही करवाने हेतु पाबन्द करावें।
5. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा.......................................।
6. रक्षित पत्रावली।

25/6/14
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर